न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 36 / 2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025 / 42

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री अभय अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी गांगडतलाई, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स अभय किराणा स्टोर, जैन रोड, गांगडतलाई, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 13–01–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **30–06–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **20–02–2025** को दौराने निरीक्षण 4.50 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स अभय किराणा स्टोर, जैन रोड, गांगडतलाई, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री अभय अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र** मिले **विक्रेता की उपस्थिति में परिसर** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **देसी गाय का घी (ओम क्रिष्णा) के 500 एम.एल के 08 डिब्बे रखे हुए थे। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिलावट का** शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **देसी गाय का घी (ओम क्रिष्णा) के 4 डिब्बे प्रत्येक 500 एम.एल के** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800 / – रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधि[illegible]स्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **देसी गाय का घी (ओम [illegible]** [illegible] के चार **नमूना भाग** तैयार **कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर [illegible]ओ एवं मुख्य चिकित्स[illegible]स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2043** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:09 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2025/111 दिनांक 17–03–2025** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक **314 दिनांक 03–03–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **देसी गाय का घी (ओम किष्णा)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2043** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा पुनः निर्धारित समयावधि में अपील नही की गयी।

विक्रेता द्वारा **देसी गाय का घी (ओम किष्णा)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत [illegible] किया।

प्रकरण दिनांक 01–07–20[illegible] आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:09 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13–01–2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित [illegible]कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर निवेदन किया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

की पुनरावृति नही की जायेगी नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2025/111 दिनांक 17–03–2025**एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक **314 दिनांक 03–03–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **देसी गाय का घी (ओम किष्णा)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2043** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया **देसी गाय का घी (ओम किष्णा)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री अभय अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी गांगडतलाई, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स अभय किराणा स्टोर, जैन रोड, गांगडतलाई, बांसवाडा (राज.) को रूपये 5000/– (अक्षरे पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 13–01–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बासवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)